

10¹¹
25

परावली देश की खिल परकार उपर ही
पुंके मूल के बाद में राजीनामा की
जाने से निर्दिष्ट किण जा पुका के लेनी
खिली में प्राथम पर को भागे प्लारप
जाने का कोई क्रियतप नहीं की अतः
प्राथम पर की कार्यवाही की तर पर की


Foskal

मामा की जाती ही न्यायालय काजा द्वारा
जारी स्वगत आदेश संख्या 58/2020 को
निरस्त किया जाता है परावली में
अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से
फैमल शुमार होकर अम्बल से कात की
जाकर नारखिल दफ्त हो।

Am





निर्दिष्ट आज दिनांक 10.11.2020 को
धरे इजलास मुताप्रा गया।